बंटे तो बांग्लादेश जैसा होगा हाल : योगी

लखनऊ, 10 जनवरी. बांग्लादेश की घटना पर सेकुलरिज्म का ठेका चलाने वालों के मुंह बंद योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की घटना पर विपक्षी दलों की चुप्पी पर प्रहार करते हुये कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर चलने वालों की दुकानें हिंदू समाज और सनातन धर्म को तोड़ने की ताकत लगाती हैं.

बांग्लादेश की घटना पर उनके मुंह पर जैसे फेविकोल व टेप चिपक गया है. शनिवार को माघ मेले में आयोजित श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के 726वें प्राकट्य महोत्सव में शामिल होने के मौके पर योगी ने कहा जाति, मत-संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा, जैसे आज बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं.

सीएम योगी ने कहा अगर हम बंटते हैं तो बांग्लादेश जैसा होगा हाल. इसीलिए आप लोग बंटों मत वरना बांग्लादेश जैसा होगा हाल हो जायेगा. वहां की घटना पर कोई बोल नहीं रहा है. सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर चलने वालों की दुकानें हिंदू समाज और सनातन धर्म को तोड़ने की ताकत लगाती हैं, लेकिन बांग्लादेश की घटना पर उनके मुंह पर जैसे फेविकोल व टेप चिपक गया है. बांग्लादेश की घटना पर कोई कैंडल मार्च तक नहीं निकाला जा रहा. यह हमारे लिए चेतावनी भी है.

उन्होंने कहा कि जो लोग आज भी समाज को बांट रहे हैं, वे कभी हितैषी नहीं होंगे. सत्ता में रहने पर यह लोग परिवार के बाहर नहीं सोच पाते थे. यह फिर तमाम नारे देंगे, लेकिन इन्हें जब भी मौका मिलेगा तो वही करेंगे, जो पहले किया था. पहचान का संकट, अराजकता, सनातन धर्म पर प्रहार और दंगों की आड़ में फिर हर व्यक्ति को झुलसाएंगे. हमें इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए. डबल इंजन सरकार सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सदैव खड़ी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रयागराज में लगे माघ मेले में संगम पर स्नान किया और मां गंगा की पूजा अर्चना की.

पुरानी रंजिश में हत्या, तीन सगे भाई गिरफ्तार

नई दिल्ली, 10 जनवरी. दिल्ली पुलिस ने नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में तीन सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी मनीष, राजेश उर्फ हड्डी और राजा पिछले साल सितंबर में हुई इस घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे. पुलिस के अनुसार, इन तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या), 109(1) (हत्या का प्रयास) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज था.

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

BAJAJ FINSERV

कॉर्पोरेट कार्यालयः सेरेब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग, पांचवीं मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र - 411014 शाखा कार्यालयः बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, छठी मंजिल, यूनिट-605 और 606, ऐरेन हाइट्स प्लॉट नंबर 13, पीयू-3, विजय नगर, इंदौर 452010 अधिकृत अधिकारी का विवरणः नामः अजय मित्तल / ईमेल आईडीः ajay.mittal@bajajhousing.co.in / मोबाइल नं.: +91 9855733149 और +919782217044

परिशिष्ट IV-A [नियम 8(6)] अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित। एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है और जिसका भौतिक कब्जा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, "जैसा है, जहां है", "जैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी प्रतिफल के" आधार पर बेची जाएगी और साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय ऋण बकाया, लागू ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए डीआरटी- जबलपुर के समक्ष लंबित प्रतिभूतिकरण आवेदन रअ/1340/2025 के परिणाम के अधीन होगी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/गारंटर(ओं) का विवरण और ऋण का विवरण	अचल संपत्तियों का विवरण	ई-नीलामी का विवरण
LAN:- H 4 25 HHL0239592 H425HLT0242425 & H425HLT0242423 **1. नवनीत शाह (ऋणकर्ता)** **& 2. रजनी शाह (सह-ऋणकर्ता) दोनों का पता: 208, स्वास्थ्य नगर, सुखलिया, भारत पब्लिक स्कूल के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश-452010** **08/01/2026 तक बकाया राशि -19,14,729/- (उन्नीस लाख चौदह हजार सात सौ उनतीस मात्र), साथ ही 08/01/2026 से लागू होने वाला भविष्य का ब्याज और शुल्क।**	ग्राम खजराना, इंदौर-452016 में प्लॉट संख्या 416 पर स्थित सूर्यांश अपार्टमेंट के ब्लॉक-बी की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट संख्या 203 का पूरा हिस्सा, जिसकी सीमाएँ पूर्व में प्लॉट संख्या 396 और 397, उत्तर में प्लॉट संख्या 417, पश्चिम में साझा मार्ग फ्लैट संख्या 201 और दक्षिण में फ्लैट संख्या 202 से लगती हैं।	ई-नीलामी की तिथि - 13/02/2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। ड उके साथ बयाना राशि (EMD) जमा करने की अंतिम तिथिः 12/02/2026, शाम 5:00 बजे तक (IST)। निरीक्षण की तिथिः 11/01/2026 से 12/02/2026, सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (IST)। आरक्षित मूल्यः अचल संपत्ति के लिए ₹18,00,000/- (अठारह लाख मात्र)। बयाना राशि ₹1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार मात्र) होगी, जो आरक्षित मूल्य का 10% है। बोली वृद्धि- 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) और इसके गुणक।

सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं: गिरवी रखी गई संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। • नीलामी ऑनलाइन ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से होगी। ई-नीलामी पोर्टल ३३स्र२://ल्ल्ल्ँ४३ङ्मल्ल२.ल्ल पर 13/02/2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी, जिसमें प्रत्येक बार 5 मिनट का असीमित स्वतः विस्तार उपलब्ध होगा। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट https://www.bajaj housingfinance.in/auction-notices देखें या किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

दिनांक: 11 जनवरी 2026, स्थान: इन्दौर **अधिकृत अधिकारी, (अजय मित्तल) बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

हम ऐसी जगह मारेंगे, जहां दर्द ज्यादा होगा

▶ ईरान में भड़कते जनआंदोलन के बीच ट्रंप ने दी चेतावनी

वॉशिंगटन, 10 जनवरी. ईरान में भड़कते जनआंदोलन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खुली और सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई या उनकी हत्या की गई, तो अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करेगा.

डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनी ईरान को खूले तौर पर बताती है, कि ट्रंप की मनसा सीधे तौर पर ईरान में अपना हुकुमत को दर्शाता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ऐसी जगह हमला करेगा, जहां ईरान को सबसे ज्यादा दर्द होगा. अमेरिका हालात पर बेहद करीबी नजर रखे हुए है. प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

ट्रंप ने तेहरान को कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है. व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर दमन तेज किया और गोलीबारी की, तो अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेगा. ट्रंप ने कहा, अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं, जैसा कि वे पहले करते रहे हैं, तो हम शामिल होंगे. हम उन्हें वहां बहुत जोर से मारेंगे, जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा.

नोबेल तो मुझे ही मिलना चाहिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान को लेकर फिर एक बार अपनी बात दोहराई. ट्रंप ने कहा कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवाई. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका आए थे, तब उन्होंने मुझे लाखों लोगों की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा था. ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि 8 युद्ध रुकवाने के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए. डोनल्ड ट्रंप ने तेल व गैस से जुड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की.

फडणवीस-शिंदे को फंसाने की साजिश

मुंबई, 10 जनवरी. पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला की एक गोपनीय रिपोर्ट में मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 160 करोड़ रुपये के यूएलसी घोटाले में झूठे आरोपों के जरिए फंसाने की साजिश का दावा किया गया है. महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनाव से पहले राजनीति उस वक्त गरमा गई, जब पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला की एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई. यह रिपोर्ट उन्होंने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सौंपी थी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2021 के अर्बन लैंड सीलिंग घोटाले में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और उस समय शहरी विकास मंत्री रहे एकनाथ शिंदे को झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश रची गई थी.

कार्यालय नगर पालिक निगम बुरहानपुर

निविदा सूचना 2025–26

निविदा सूचना क्र/पी.डब्लू.डी/2025–26/21 बुरहानपुर दिनांक : 08/01/2026

नगर पालिक निगम बुरहानपुर द्वारा ऑन लाइन पोर्टल https://mptenders.gov.in टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। टेण्डर का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	टेण्डर आई.डी.नं.	कार्य का नाम व स्थान	कार्य की समयावधि एवं लागत रू. लाख में।	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी
1	2026_UAD_474148_1	शनवारा चौराहा से गणपति थाना चौराहा तक सबग्रेड जी. एस.बी एवं डब्लू एम. एम. का कार्य।	6 माह 92.96 लाख	10,000/- 70,000/-	27-01-2026

ऑनलाइन क्रय एवं प्रस्तुत करनें की अंतिम तिथि As per key Date, कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। उपरोक्त निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो वेबसाइट पर ही दिखाई देगा।

कार्यपालन यंत्री
वास्ते आयुक्त
नगर पालिक निगम बुरहानपुर

एक नजर में

इंडियन नेवी हल्दिया में बना रही अपना बेस

नई दिल्ली, 10 जनवरी. भारतीय नौसेना उत्तरी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत की समुद्री मौजूदगी को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नया बेस बनाने जा रही है. यहां से बांग्लादेश-चीन पर पैनी नजर रहेगी. रिपोर्ट के अनुसार यह बेस एक नेवी डिटैचमेंट के तौर पर काम करेगी. इसका फोकस छोटे युद्धपोतों को तैनात करने पर होगा. हुगली नदी पर स्थित यह बेस फास्ट पेट्रोल और अटैक क्राफ्ट को सपोर्ट करेगा. इस बेस के ऑपरेशन में आने के बाद भारत के पूर्वी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी अभियान, आपदा राहत और क्विक रिसपॉन्स को बढ़ावा मिलेगा. यह कदम नेवी की बड़ी विस्तार योजनाओं के भी मुताबिक है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्थ बंगाल की खाड़ी में भारत का यह कदम कई कारणों से उठाया है. इसमें हिंद महासागर क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की बढ़ती गतिविधियां अहम कारण है.

चार रणबांकुरों को मरणोपरांत सेना पदक

नई दिल्ली 10 जनवरी. कैप्टन ब्रजेश थापा, लांस नायक स्टांजिन तर्गियास, राइफलमैन मोहित राठौर और राइफलमैन हिलाल अहमद भट को शनिवार को मरणोपरांत सेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया। दिल्ली छावनी स्थित मानेकशॉ सेंटर में सेना की पश्चिमी कमान के अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान किये गये। समारोह में छह युद्ध सेवा पदक, 30 सेना पदक (वीरता), एक बार टू सेना पदक (विशिष्ट), 19 सेना पदक (विशिष्ट) और 44 विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किये गये। सेना की वायु रक्षा कोर से संबंध रखने वाले और 10 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात कैप्टन (शहीद) ब्रजेश थापा ने 14 जुलाई 2024 को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। वन क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की विशेष खुफिया सूचना के आधार पर उन्होंने तलाशी अभियान का नेतृत्व किया।

एसआईटी खोलेगी पाक का सच

नई दिल्ली, 10 जनवरी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि पाक नागरिक अली तौकीर शेख के खिलाफ विशेष जांच दल की जांच की पूरी रिपोर्ट जनवरी के भीतर जारी कर दी जायेगी. उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक बड़ी साजिश है, जिसके बारे में असम के लोगों को पता होना चाहिए और इस मामले की जांच के निष्कर्ष बेहद गंभीर हो सकते हैं. हिमंत विश्व सरमा ने कहा कि उनका मानना है कि वर्तमान में राज्य के पास मौजूद दस्तावेज केवल शुरुआत हैं और मामले की व्यापकता को देखते हुए राज्य पुलिस बल की पहुंच सभी भौतिक साक्ष्यों तक नहीं हो सकेगी.
एक बार मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के बाद जांच का विस्तार किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने जांच में राज्य के अधिकारियों की भूमिका की सराहना कर कहा सरकारी एजेंसियों ने अब तक के निष्कर्षों को संकलित करने में सराहनीय कार्य किया है.

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बायो स्पन प्राइवेट लिमिटेड कुसुम योजना का सोलर प्लांट हेतु 33 KV लाइन चालू हो चुकी है। जो भगवान पुरा सोलर प्लांट से होकर बाकानेर ग्रिड पर जावेगी जिसकी दूरी 3 किलोमीटर रहेगी अतः इन क्षेत्रों के किसान एवं आमजन विद्युत लाइन से दूरी बनाकर सावधानी रखें।

कलम तड़वाल
कार्यपालन यंत्री
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., मनावर

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बायो स्पन प्रा.लिमि.कुसुम योजना का सोलर प्लांट हेतु 33 KV लाइन चालू हो चुकी है । जो बड़दा सोलर प्लांट से होकर कुवाली,बड़दा पुनर्वास, जलखेड़ा फाटा से लेकर मिर्जापुर ग्रिड पर जावेगी जिसकी दूरी 8 किलोमीटर रहेगी अतः इन क्षेत्रों के किसान एवं आमजन विद्युत लाइन से दूरी बनाकर सावधानी रखें।

कलम तड़वाल
कार्यपालन यंत्री
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., मनावर

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
अंचल कार्यालय: प्लाट नं. 04, पीएसपी एरिया, एम्स के समीप, साकेत नगर, अंचल कार्यालय, भोपाल
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर, फोन: 7049919126

ई-नीलामी सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी (ऑनलाइन) के विक्रय की सूचना सरफेसी अधिनियम 2002 एवं सेक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं (9) के अन्तर्गत

यह सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का कब्जा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिमार्ण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं सेक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत ले लिया है, सेवाप्रदाता **पीएसबी एलयांस प्रा.लि.** के द्वारा संचालित ई-नीलामी निम्न शर्ते एवं नियम के आधार पर संपत्ति का विक्रय वेबसाईट **https://baanknet.com/** द्वारा की जायेगी।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/सह ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्तियों का विवरण	क्षेत्रफल	कब्जे का प्रकार	संपत्ति का प्रकार	बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) / धरोहर राशि	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	खजराना चौराहा शाखा, इन्दौर 94256 00282	मेसर्स राज इम्पेक्स, प्रो. श्री सुनील हरिराज गुरु, श्री सुनील हरिराज गुरु, श्री नंद किशोर तंवर पिता रतनलाल तंवर, मेसर्स रेणुका एक्पोर्ट्स, प्रो. मोनिका तंवर एवं श्रीमती मोनिका तंवर पिता नंद किशोर तंवर	मकान नं. 123/1, पिपलियाराव, तहसील एवं जिला इन्दौर (म.प्र.), **मालिक श्री नंद किशोर तंवर पिता रतनलाल तंवर, सीमाएं: उत्तर:** गली, **दक्षिण:** गली, **पूर्व:** बंशीलालजी तंवर का मकान, **पश्चिम:** माधव सिंह तंवर का मकान	720 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	मकान	31,93,198.93 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.09.2025 से	Rs. 37,66,000 / Rs. 3,76,600	28.01.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
2.	खण्डवा शाखा 85950 58017	मेसर्स शुभम फूड प्रोडक्ट्स, प्रोप्राइटर संजय कुमार आहुजा एवं श्री संजय कुमार आहुजा पिता अयालदास आहुजा	वीर रानी दुर्गावती वार्ड नं. 34, हरिजन गली नं. 2, सिंघाड तलाई, खण्डवा, डायवर्टेड शीट नं. 08, प्लाट नं. 35 (पुराना), प्लाट नं. 35/2 (नया), खसरा नं. 327/2 एवं 327/3 का भाग, खण्डवा तरफ कुंबी, खण्डवा (म.प्र.) 452001, **मालिक: श्री संजय कुमार आहुजा, सीमाएं: उत्तर:** आम सड़क, **दक्षिण:** विक्रेता की शेष खुली भूमि, **पूर्व:** सुनील सिंधी का मकान, **पश्चिम:** संजय आहुजा का प्लाट	2000 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	गोडाउन	22,02,075.18 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 06.04.2025 से	Rs. 21,90,000 / Rs. 2,19,000	28.01.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
3.	सियागंज शाखा, इन्दौर 89899 89142	मेसर्स कमल श्री हॉस्पिटल प्रो.: प्रिया सिसोदिया, प्रिया सिसोदिया पति रनजीत सिंह सिसोदिया	फ्लेट नं. 402, प्लाट नं. 18, रजत कॉम्प्लेक्स, किबे कम्पाउण्ड, इन्दौर (म.प्र.) 452015, **मालिक: प्रिया सिसोदिया पति रंजीत सिंह सिसोदिया, चर्तु:सीमा: उत्तर:** अन्य संपत्ति, **दक्षिण:** पेसेज एवं फ्लेट नं. 403, **पूर्व:** अन्य बिल्डिंग, **पश्चिम:** फ्लेट नं. 401	1156 वर्गफीट	भौतिक कब्जा	फ्लेट	3,50,52,469.50 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 11.07.2022 से	Rs. 17,70,000 / Rs. 1,77,000	28.01.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
4.	खण्डवा शाखा 85950 58017	मेसर्स पलक वर्मा रेसीडेन्सी एण्ड बिल्डर्स, प्रोप्राईटर श्रीमती आरती वर्मा एवं श्रीमती आरती वर्मा पति सेवकराम वर्मा	लेआउट प्लाट नं. 79, प्लाट नं. 13, कर्मवीर सिटी, आनंद नगर, वार्ड नं. 50, शीट नं. 04 पर स्थित रहवासी मकान मालिपुरा, खण्डवा (म.प्र.), **मालिक: श्रीमती आरती वर्मा पति सेवकराम वर्मा, सीमाएं: उत्तर:** कॉलोनी का प्लाट नं. 78, **दक्षिण:** कॉलोनी का प्लाट नं. 80, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** कॉलोनी का प्लाट नं. 69	900 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	प्लाट	25,23,704.57 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 16.05.2025 से	Rs. 15,84,000 / Rs. 1,58,400	28.01.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
5.	खण्डवा शाखा 85950 58017	मेसर्स बालाजी सब्जी भंडार, प्रोप्राईटर श्री रोहित वर्मा एवं श्री रोहित वर्मा पिता सुरेश चंद वर्मा	लेआउट प्लाट नं. 117, प्लाट नं. 13 पर स्थित रहवासी मकान, विनायक एवेन्यु कॉलोनी, सुभाष चंद्र बोस वार्ड नं. 49, डायवर्टेड शीट नं. 01, पटवारी हल्का नं. 95, मालिपुरा, खण्डवा (म.प्र.) 450001, **मालिक:श्री रोहित वर्मा पिता सुरेश चंद वर्मा, सीमाएं: उत्तर:** कॉलोनी की सड़क, **दक्षिण:** कॉलोनी का प्लाट नं. 118, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** गार्डन के बाद रास्ता	613.76 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	मकान	18,35,648.39 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 22.05.2025 से	Rs. 13,75,000 / Rs. 1,37,500	28.01.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
6.	राधिका पेलेस शाखा, इन्दौर 89899 89143	स्व. अमानउल्ला पिता शामिउल्ला, सुलताना बी पति स्व. अमानउल्ला (स्व. अमानउल्ला के कानूनी उत्तराधिकारी), आयुब शेख पिता स्व. अमानउल्ला (स्व. अमानउल्ला के कानूनी उत्तराधिकारी), शेख वसीम पिता स्व. अमानउल्ला (स्व. अमानउल्ला के कानूनी उत्तराधिकारी), शेख तोहसीफ पिता स्व. अमानउल्ला (स्व. अमानउल्ला के कानूनी उत्तराधिकारी), शेख शाबीर पिता स्व. अमानउल्ला (स्व. अमानउल्ला के कानूनी उत्तराधिकारी), सलमान शेख पिता स्व. अमानउल्ला (स्व. अमानउल्ला के कानूनी उत्तराधिकारी) सभी स्व. अमानउल्ला के कानूनी उत्तराधिकारी	प्लाट नं. 10/2, फ्लेट नं. 404, चक्रदेव अपार्टमेंट, स्नेहलता गंज, तहसील एवं जिला इन्दौर (म.प्र.) 452010, **मालिक: स्व. अमानउल्ला पिता शामिउल्ला, चुर्तसीमा: उत्तर:** फ्लेट नं. 403, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 405, **पूर्व:** खुली जगह, **पश्चिम:** कॉमन पेसेज	554.32 वर्गफीट	भौतिक कब्जा	फ्लेट	6,55,929.68 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.07.2024 से	Rs. 8,35,000 / Rs. 83,500	28.01.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)

नियम एवं शर्तें: संपत्ति का विक्रय सेक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत एवं नीचे वर्णित शर्तो के आधार पर ही होगा। (1) संपत्ति का विक्रय भार सहित **''जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है एवं जो कुछ भी है''** के आधार पर होगा। बैंक की जानकारी में संपत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। (2) नीलामी/बोली केवल **ऑनलाइन इलेक्टानिक बोली** के माध्य से वेबसाइट **https://baanknet.com/** के द्वारा होगी। बोलीकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व वेबसाइट देख लें। (3) संपत्ति का निरिक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेकर **दिनांक 27.01.2026 को प्रात: 10.30 से सायं 5 बजे** के बीच कर सकते है। (4) आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति का विक्रय नही होगा। विक्रय प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीकर्ता नीलामी के मध्य अपनी बोली आगे बड़ा सकते है। (5) ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य का 10% डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, संबंधित शाखा** के पक्ष में **दिनांक 27.01.2026 तक या इसके पूर्व सायं 5.00 बजे** तक जमा करना होगा। (6) इच्छुक बोलीकर्ताओ के पास अपना वैद्य डिजीलॉकर एवं ई-मेल पता होना चाहिए। (7) ईएमडी राशि चुकाने के पश्चात इच्छुक बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी **दिनांक 27.01.2026 के पूर्व सायं 05.00 बजे तक केनरा बैंक, संबंधित शाखा** में व्यक्तिगत रूप से या मेल द्वारा जमा हो जाना चाहिए। (1) ईएमडी की राशि यदि आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा जमा की हो तो उसकी प्राप्त रसिद यूटीआर नं. सहित। (2) पेन कार्ड, आईडी प्रूफ एवं एड्रेस प्रूफ कॉपी जबकि सफल बोलीकर्ता द्वारा इनके मूल दस्तावेज बैंक को बिड राशि की 25% जमा करते समय देना होगा। (3) बोलीकर्ता का नाम, संपर्क नं., पता, ई-मेल आईडी (4) ऑनलाइन ईएमडी की राशि वापस करने के लिए बोलीकर्ता के खाते की विस्तृत जानकारी। (8) इच्छुक बोलीकर्ता को अपना नाम पोर्टल **https://baanknet.com/** पंजीकृत करना होगा एवं उनकी यूज़र आईडी, पासवर्ड नि:शुल्क प्राप्त करें। संभावित बोलीकर्ता सेवाप्रदाता **पीएसबी एलयांस प्रा.लि., ईमेल आईडी: support.baanknet@psballiance.com, फोन नं.: 8291220220** से ऑनलाइन ई-नीलामी की प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण ले सकते है। (9) नीलामी असफल बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी राशि संपत्ति के विक्रय की पुष्टिके दो दिन पश्चात वापस कर दी जावेगी। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। (10) नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी जैसा की उपर वर्णित है। बोलीदाताओं को **25,000 रुपये के गुणक** में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा। ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होते समय बोलीकर्ता द्वारा उच्चतम बोली लगाई जाती है (आरक्षित मूल्य से कम नही) तो उस बोलीकर्ता को सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। सुरक्षित लेनदार द्वारा विक्रय की पुष्टि के पश्चात ही सफल बोलीकर्ता के पक्ष में विक्रय की पुष्टि की जावेगी। (11) सफल बोलीकर्ता को उसके पक्ष में बोली की पुष्टि के तुरंत बाद उसी दिन या उसके अगले कार्यदिवस पर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (ईएमडी की राशि सहित जो पूर्व में जमा की गई है) जमा करनी होगी एवं शेष राशि सुरक्षित देनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर जमा करानी होगी। यदि सफल बोलीकर्ता उपर वर्णित समयावधि में राशि चुकाने में असफल होता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में बिना कोई सूचना दिए उसकी जमा राशि जप्त कर ली जावेगी एवं संपत्ति का पून: विक्रय किया जावेगा। (12) सफल बोलीकर्ता द्वारा दस्तावेजों के निष्पादन में होने वाले सभी खर्च, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टॉम्प ड्यूटी, टेक्सेस, सरकारी बकाया इत्यादि स्वयं वहन करने होंगे। (13) प्राधिकृत अधिकारी के पास बोली को स्थगित करने, आगे बढ़ाने या नियम व शर्तो को बिना पूर्व सूचना दिये बदलने का अधिकार सुरक्षित है। (14) **विस्तृत जानकारी के लिए केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 7049919126 पर संपर्क करें।** विशेष निर्देशन/सावधानी: यह बोलीदाता/कर्ता के हित में होगा कि वे आखिरी क्षण में बोली न लगाएं क्योंकि किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली कट जाना आदि) के लिए न तो बैंक और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। इस प्रकार की आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति हेतु बेक-अप की तैयारी रखें ताकि ऐसी स्थिति को दरकिनार कर सकें एवं सफलता पूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।

स्थान : इंदौर, दिनांक : 11.01.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**